MPHIN/2023/88306

डाक पंजीकरण संख्या मंदसौर / 405/ 2024-26

यशस्वी दुनिया

सम्पादक
कैलाश विश्वकर्मा
मो.7898341111

खबर वही सोच नई...

साप्ताहिक

yashasviduniya@gmail.com

वर्ष -4 अंक -15 मंदसौर, 30 सितम्बर 2026 बुधवार से 6 अक्टूबर 2026 तक पृष्ट -4 कीमत 2 रू.

गरोठ पुलिस की बड़ी कारवाई

221 किलो डोडाचूरा जब्त, विधि-विरुद्ध बालक पकड़ा

थाना प्रभारी बलबीर सिंह यादव के नेतृत्व में कार्रवाई, 8 लाख रुपये का ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त

गरोठ। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मंदसौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गरोठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर के पावरट्रैक ट्रैक्टर-ट्रॉली से 221 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक गोविंद पिता विष्णु निवासी नारिया बुजुर्ग मौके से फरार होने में सफल रहा। कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4 लाख 42 हजार रुपये कीमत का डोडाचूरा, दो मोबाइल फोन और करीब 8 लाख रुपये कीमत का ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया है।

पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीणा द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ राम सनेही मिश्रा और एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गरोठ उपनिरीक्षक बलबीर सिंह यादव के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

मुखबिर की सूचना पर हुई नाकाबंदी

पुलिस के अनुसार 29 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद पिता विष्णु निवासी नारिया बुजुर्ग अपने साथी के साथ बिना नंबर के पावरट्रैक कंपनी के ट्रैक्टर मय ट्रॉली में अवैध डोडाचूरा भरकर ग्राम मोलाखेड़ी की तरफ से बर्डिया अमरा की ओर जाने वाला है। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए सहायक उपनिरीक्षक जसराज सिंह चंदेल ने पुलिस टीम के साथ ग्राम गोपालपुरा तालाब की पाल पर नाकाबंदी की।

9 काले कट्टों में मिला 221 किलो डोडाचूरा

नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर तलाशी ली। तलाशी में 9 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में कुल 221 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से डोडाचूरा के अलावा दो मोबाइल फोन और बिना नंबर का पावरट्रैक ट्रैक्टर मय ट्रॉली भी जब्त कर लिया।

पुलिस के मुताबिक जब्त डोडाचूरा की कीमत करीब 4 लाख 42 हजार रुपये, दो मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 हजार रुपये तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये है।

ट्रैक्टर चालक फरार, विधि-विरुद्ध बालक पुलिस अभिरक्षा में

कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चला रहा गोविंद पिता विष्णु निवासी नारिया बुजुर्ग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने उसके साथ मौजूद एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

थाना गरोठ वापस पहुंचने के बाद पुलिस ने गोविंद पिता विष्णु निवासी नारिया बुजुर्ग एवं विधि-विरुद्ध बालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 394/2026 दर्ज किया।

मामले में धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

होम डिपार्टमेंट ने भी गरोठ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की

गरोठ पुलिस की इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट द्वारा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सराहा गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी बलबीर सिंह यादव के नेतृत्व और पुलिस टीम की भूमिका को उल्लेखित किया गया। होम डिपार्टमेंट की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस की इस कार्रवाई की चर्चा भी बनी हुई है।

थाना प्रभारी बलबीर सिंह यादव के निर्देशन में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गरोठ उपनिरीक्षक बलबीर सिंह यादव के निर्देशन में पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक जसराज सिंह चंदेल एवं पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अब फरार आरोपी गोविंद की तलाश के साथ ही डोडाचूरा की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।

भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न, विकास कार्य से वार्डवासियों में खुशी

शामगढ़। नगर में विकास कार्यों की कड़ी में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने विधिवत भूमि पूजन कर विकास कार्य का शुभारंभ किया। लंबे समय से अपेक्षित कार्य के शुरू होने से संबंधित वार्ड सहित नगरवासियों में खुशी का माहौल है।

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नगरवासी, वार्डवासी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने विकास कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया।

इस दौरान लोगों ने कहा कि विकास कार्य पूरा होने से क्षेत्रवासियों को सुविधाएं मिलेंगी तथा वार्ड के विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नगर के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की।

मंदसौर में व्यावसायिक गरबा आयोजनों पर रोक के लिए ज्ञापन-महिलाओं की सुरक्षा और अश्लील गानों पर रोक की भी मांग

मंदसौर ।नवरात्रि के गरबा आयोजनों को लेकर सकल हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को तीन पुलिस थानों में ज्ञापन सौंपे। संगठनों ने व्यावसायिक गरबा आयोजनों पर रोक लगाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था करने की मांग की। इससे पहले कलेक्टर को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है।

नौ दिन पूजा वाले पंडालों को अनुमति की मांग

संगठनों ने शहर कोतवाली, यशोधर्मन नगर और नई आबादी थाने में ज्ञापन दिए। इसमें मांग की गई कि उन्हीं गरबा पंडालों को अनुमति दी जाए, जहां नवरात्रि के नौ दिनों तक माता की मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाए।

एक-दो दिन के गरबा नाइट और व्यावसायिक आयोजनों पर रोक लगाने की मांग रखी गई।

महिलाओं की सुरक्षा और गानों को लेकर भी मांग

ज्ञापन में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई। संगठनों ने कहा कि आयोजकों को महिलाओं को कार्यक्रम के बाद सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पंडाल में फोटो खींचने पर रोक लगाने और अश्लील गानों पर गरबा आयोजित नहीं करने की मांग भी की गई।

संपादकीय

बैंक हड़ताल और आम जनता

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंक और अर्थव्यवस्था दोनों अलग-अलग शब्द जरूर हैं लेकिन दोनों का संबंध अटूट है। कहने का अभिप्राय यह है कि बैंकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है जो देश के आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और पूंजी निर्माण को गति प्रदान करते हैं। बैंक आम जनता से उनकी बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जमा की गई राशि का उपयोग करके बैंक किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों को विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण देते हैं। बैंक धन को उत्पादन और निवेश के कार्यों में लगाते हैं जिससे पूंजी का निर्माण होता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक लम्बा इतिहास रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पहली लहर 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में देखी गई और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर 1980 में आई।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता कई कारणों से महसूस की गई, क्योंकि वे देश के बड़े व्यवसायों और विशाल उद्योगों के लिए बहुत सहायक थे। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र और लघु उद्योगों को भी विकास के लिए वित्तीय मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीयकरण से पहले इन सभी कारकों पर विचार किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अस्तित्व में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार करना था। इनका लक्ष्य जनसमुदाय की सेवा करना था। इसके अलावा, देश की विदेशी व्यापार, आवास और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम आदि जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली का अनुभव भारत के लिए काफी लाभकारी रहा। अगर बैंकों की हड़ताल हो जाए तो पूरा अर्थतंत्र ठप्प होकर रह जाता है। देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितम्बर तक तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानि यूएफबीयू ने बुलाई है। हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों में 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग है। अभी बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन काम करते हैं। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं जबकि बाकी शनिवार को काम होता है। बैंक यूनियनों के मुताबिक 2012-13 में बैंक कर्मचारियों की संख्या 886 लाख थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 7.58 लाख रह गई। वहीं बैंकिंग कारोबार 283 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा हो गया है। काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। हड़ताल से जुड़ा दूसरा मुद्दा प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानि पीएलआई का है। पीएलआई व्यवस्था 2020 में वेतन समझौते के तहत शुरू की गई थी। इसका लाभ चौथे स्तर और इससे ऊपर के अधिकारियों को दिया गया जबकि निचले स्तर के अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया। बैंक यूनियनों ने प्रोत्साहन के बंटवारे पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। हड़ताल चाहे बैंकों की हो चाहे बस और ट्रक ऑपरेटरों की हो, डॉक्टरों की हो या फिर शिक्षकों की हो इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। हड़तालें पहले भी होती रही हैं लेकिन हर हड़ताल की कीमत आम आदमी क्यों चुकाए।

हड़ताल की खबर आते ही चेतावनियां और परामर्श जारी होने लगते हैं। सलाह दी जाती है कि आप अपना जरूरी लेन-देन निपटा लें। नगदी निकाल लें, चैक जमा करा दें। यानि व्यवस्था ठप्प होने से पहले इंतजाम भी देश के नागरिक ही करेंगे। तीन दिन की हड़ताल से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। रोजमर्रा का वित्तीय लेन-देन और व्यावसायिक गतिविधियां ठप्प हो जाएंगी। चैक की क्लियरिंग रुक जाएगी। बड़े व्यावसायिक भुगतानों, व्यापारिक बिलों और ऋण की किश्तों के समय पर भुगतान में देरी होगी। वेतन देरी से आएगा।

8 लेन एक्सप्रेस-वे से खाई में गिरीं दो कार-सास-बहू समेत 4 की मौत, 8 घायल; मुंबई की तरफ जा रहे थे पंजाब-गुजरात के परिवार

रतलाम। जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह दो हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। 8 घायल हैं। पहले हादसे का समय सुबह करीब साढ़े 4 और दूसरे एक्सीडेंट का वक्त सुबह करीब साढ़े 6 बजे बताया गया है। दोनों कारों में सवार दो-दो लोगों की जान गई है। वे पंजाब और गुजरात के रहने वाले थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

ड्राइवर को झपकी लगने से गिरी पहली कार

जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया ने कहा- पहला हादसा सुबह करीब साढ़े 4 बजे हुआ। पंजाब का परिवार कार से मुंबई जा रहा था। इसी बीच ड्राइवर को झपकी लगने से उनकी कार 8 लेन के बीच बनी रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में नरेंद्र कौर (67) और उनकी बहू मनप्रीत कौर (32) की मौत हुई है। सुबह दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जावरा के अस्पताल पहुंचाया। यहां से उनको रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

टूटी रेलिंग की वजह से दूसरा हादसा

टीआई गडरिया ने कहा कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे पुलिसकर्मी मौका मुआयना कर रहे थे, इसी दौरान कार हवा में उछलते हुए रोड के बीच बनी बाउंड्री से टकराकर खाई में आ गिरी।

पहली कार की टक्कर से रेलिंग टूट गई थी। इसी वजह से दूसरी कार भी हादसे की शिकार हुई। इसमें गुजरात के दाहोद का परिवार था, जो उत्तर प्रदेश से इलाज करवाकर आ रहा था। इस कार में सवार दो पुरुषों की मौत हुई है।

हादसे में कार ड्राइवर की भी मौत

35 साल का रवि हटीला त्छ्20 छ्क्4610 नंबर की कार चला रहा था। हादसे में उसकी मौत हो गई। रवि की पत्नी रेणुका, काका मनसुख भाई रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। परिवार में बेटा कार्तिक (12), बेटी पूर्वी (10) और आयुष (8) हैं।

ट्रेवल्स

अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, राजकोट, सुरत, बड़ौदा, उज्जैन

मधुर काँटा की नई सौगात
इलेक्ट्रानिक तोलकाँटा

दूध डेयरी का सामान

डेयरी
संबंधित सभी प्रकार की मशीन व मशीन के पार्ट्स उचित दाम पर मिलते है एवं सभी प्रकार की मशीनें रिपेयरिंग की जाती है।

साथ ही

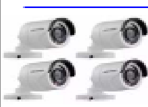

आपके मकान, दुकान, गोडाऊन व व्यावसायिक स्थल की सुरक्षा हेतु
CCTV कैमरे लगवाईये।

L.E.D. T.V., नोट काउंटिंग मशीन
वारंटी व गारंटी के साथ

हमारे यहाँ सभी प्रकार के पुराने CCTV कैमरे रिपेयर भी किये जाते हैं

मधुर इंटरप्राइजेस ट्रेवल्स & कोरियर
प्रोप्रा. अनुप जैन (कदुभाई), गरोठ वाले
शिव हनुमान मंदिर के पास, मेनरोड़, बस स्टेण्ड, शामगढ़ Mob. 9977003920, 9179928540, 8224851378, 8889305176, 9685258614, 9174077485

हास्पीटल रोड़, गरोठ 9713314588, 7225855268

प्रो-टीपू शेख, मो-9893112773 आदिल मो-9806741851

राज लाइट डेकोरेशन
एण्ड डीजे साउंड

हमारे यहां लाईट डेकोरेशन, डीजे साउण्ड, जनरेटर, 5 केवीआर से 125 केवीआर जनरेटर व्यवस्था एवं इलेक्ट्रीक फीटिंग कार्य भी किया जाता है। जनरेटर खरीदे व बेचे जाते है। ए टू जेड जनरेटर व्यवस्था।

चामुण्डा कालोनी, माकड़ी माताजी रोड, शामगढ़

ज्योति ऑप्टीकल एण्ड आई केयर

आईसीआईसीआई बैंक के सामने, सुभाष मार्ग, शामगढ़
Mob.9752457614,9893826814

आधुनिक मशीनों द्वारा आंखो की जांच कर चश्मे बनाये जाते है विश्वसनीय कम्पनियों के चश्मे व गॉगल।

नैत्र रोग विशेषज्ञ- डॉ. विक्रांत भावसार
प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को उपलब्ध रहेंगें
समय प्रातः 10 से 1 बजे तक

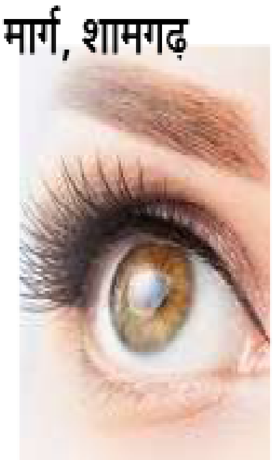

भानपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख की एमडी और 4.7 किलो डोडाचूरा जब्त

भैसोदामंडी में कार्रवाई, राजस्थान का 23 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

मंदसौर। नशा मुक्ति अभियान के तहत भानपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 ग्राम एमडी, 4 किलो 700 ग्राम डोडाचूरा, बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किया है। बरामद एमडी की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीना के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ रामस्नेही मिश्रा एवं एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी भानपुरा उपनिरीक्षक विनय बुंदेला के निर्देशन में उपनिरीक्षक धर्मेश यादव एवं भैसोदामंडी चौकी पुलिस टीम ने भैसोदामंडी बस स्टैंड के पास आम रोड पर कार्रवाई की।

23 वर्षीय युवक गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से धीरप लाल मेहर पिता इन्द्रलाल मेहर, उम्र 23 वर्ष, निवासी सादरे का खेड़ा, थाना डग, जिला झालावाड़, राजस्थान को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 120 ग्राम एमडी बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई। इसके साथ ही 4 किलो 700 ग्राम डोडाचूरा भी मिला, जिसकी कीमत करीब 9,400 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के पास से बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और करीब 15 हजार रुपए कीमत का एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने जब्त मादक पदार्थ और अन्य सामग्री को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 22 एवं 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में विवेचना जारी है। पुलिस आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

पटाखा बिक्री के लिए आवेदन 21 अक्टूबर तक

27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी होंगे अस्थाई लाइसेंस

मंदसौर। दीपावली पर्व 2026 पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति ?500 का ऑनलाइन चालान जमा कर एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती एकता जायसवाल के अनुसार जिले में अस्थाई फुटकर पटाखा लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई एसडीएम मंदसौर ग्रामीण, सीतामऊ, गरोठ एवं मल्हारगढ़ द्वारा की जाएगी। पात्र आवेदकों को विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 के तहत 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 15 दिनों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आतिशबाजी का व्यवसाय किया जा सकेगा। विदेश निर्मित पटाखों की खरीद-बिक्री और बिना लाइसेंस व्यवसाय करना दंडनीय अपराध है। लाइसेंसधारियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगानी होगी। दुकानदारों को दुकान पर रेत, पानी और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखना भी अनिवार्य होगा।

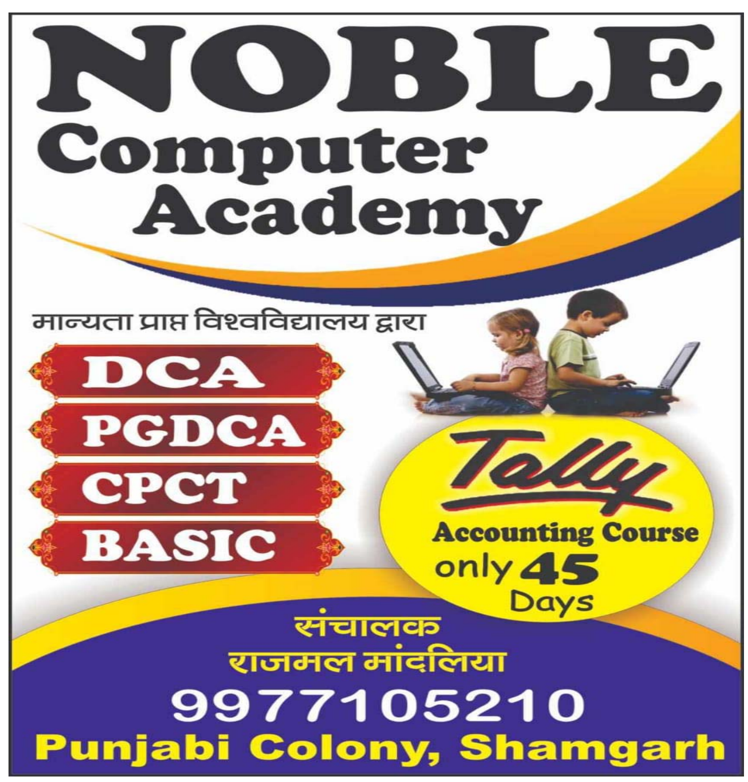

एनआरआई बनकर शादी का झांसा, गिफ्ट और कस्टम ड्यूटी के नाम पर साढ़े 7 लाख की ठगी

शामगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया, मुख्य सरगना सहित 6 आरोपी गिरफ्तार; 22 मोबाइल, 30 सिम और 5 एटीएम जब्त

शामगढ़। मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर शादी का रिश्ता तलाश रही शामगढ़ क्षेत्र की एक महिला को साइबर ठगों ने एनआरआई बनकर अपने जाल में फंसा लिया। नकली फोटो भेजकर, कथित परिजनों से व्हाट्सऐप पर बातचीत करवाकर और शादी का भरोसा दिलाने के बाद आरोपियों ने विदेश से महंगा गिफ्ट भेजने की कहानी गढ़ी। इसके बाद गिफ्ट कस्टम विभाग में फंसने की बात कहकर कस्टम ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस और पार्सल छुड़ाने के नाम पर महिला से अलग-अलग बैंक खातों में करीब साढ़े 7 लाख रुपए जमा करवा लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। जांच में मामले के तार अंतरराज्यीय साइबर गिरोह तक पहुंचे। शामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में गिरोह द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठकर 100 से अधिक साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने और 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच में गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े होने की बात भी सामने आई है। ठगी के लिए गिरोह द्वारा 150 से अधिक म्यूल बैंक खातों और मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया गया।

शादी का भरोसा दिलाकर शुरू किया ठगी का खेल

आलमगढ़ निवासी पीड़िता ने मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल अपडेट किया था। इसी दौरान आरोपी ने उससे संपर्क किया और खुद को एनआरआई बताया। बातचीत के दौरान आरोपी ने अपनी नकली फोटो भेजीं और कथित परिजनों से भी व्हाट्सऐप पर बातचीत करवाकर पीड़िता का विश्वास जीता। शादी का भरोसा कायम होने के बाद आरोपियों ने ठगी की साजिश को आगे बढ़ाया। पीड़िता को बताया गया कि विदेश से उसके लिए एक महंगा गिफ्ट भेजा गया है। इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर उससे रुपए मांगे जाने लगे। कभी कस्टम ड्यूटी, कभी प्रोसेसिंग फीस तो कभी पार्सल छुड़ाने के नाम पर भुगतान करने को कहा गया। आरोपी कस्टम अधिकारी बनकर भी फोन करते थे। लगातार दबाव और डर का माहौल बनाकर पीड़िता से अलग-अलग बैंक खातों में करीब साढ़े 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए।

शिकायत के बाद पुलिस ने खंगाले बैंक खाते और मोबाइल नंबर

ठगी का एहसास होने के बाद पीड़िता ने मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। मामले में थाना शामगढ़ पर अपराध क्रमांक 282/26, धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ रामस्नेही मिश्रा और एसडीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शामगढ़ उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना पुलिस की संयुक्त विशेष टीम गठित की गई।

डेढ़ से दो माह तकनीकी जांच, 15 दिन राज्यों में तलाश

विशेष टीम ने करीब डेढ़ से दो माह तक मामले से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। मोबाइल नंबर, बैंक खातों और

अन्य तकनीकी तथ्यों की कड़ियों को जोड़ा गया। जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस टीम ने करीब 15 दिन तक अलग-अलग राज्यों में रहकर उनकी तलाश की।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के जयपुर में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस बिहार के अरवल जिले तक पहुंची और गिरोह के एक अन्य सदस्य को भी अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने मुख्य सरगना सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

बैंक खाता फ्रीज होते ही मोबाइल-सिम नष्ट

जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि गिरोह के सदस्य साइबर ठगी में इस्तेमाल मोबाइल, सिम और बैंक खातों का निजी कार्य में उपयोग नहीं करते थे। जैसे ही कोई बैंक खाता फ्रीज होता था, मोबाइल फोन, सिम, पासबुक और एटीएम कार्ड नष्ट कर दिए जाते थे। इसके बाद अगले अपराध के लिए नए मोबाइल, सिम और बैंक खाते हासिल किए जाते थे।

पुलिस के अनुसार प्रत्येक मोबाइल फोन के पीछे एक स्लिप रखी जाती थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम और बैंक खाता नंबर लिखा होता था। एक मोबाइल और सिम का इस्तेमाल एक ही मामले में किया जाता था। इसके बाद दूसरे मामले के लिए नया मोबाइल, सिम और बैंक खाता तैयार किया जाता था।

22 मोबाइल, 30 सिम और 5 एटीएम जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 30 मोबाइल सिम और 5 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों में जमा 8 लाख रुपए से अधिक की राशि को फ्रीज कराया गया है। पुलिस के अनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैधानिक प्रावधानों के तहत राशि पीड़िता को वापस दिलाने की कार्यवाही की जाएगी।

बिहार के रहने वाले हैं छह आरोपी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में त्रिलोकी कुमार उम्र 26 वर्ष, शिवम गुप्ता उम्र 25 वर्ष, बबलू कुशवाह उम्र 25 वर्ष, गुंजन गुप्ता उम्र 29 वर्ष और शशि कुमार उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी भेलाही, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार तथा टोनी कुमार उम्र 34 वर्ष निवासी छपिया, गोपालगंज, बिहार शामिल हैं।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई में उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय, उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह कनेश, उपनिरीक्षक ओपी राठौर, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येंद्र सैनी, प्रधान आरक्षक आशीष बैरागी, प्रधान आरक्षक मुजफ्फर, आरक्षक मनीष बघेल, आरक्षक हरिओम मालवीय, प्रधान आरक्षक अर्जुन सिंह राठौर, आरक्षक हीरालाल यादव, आरक्षक इरफान खान, आरक्षक धर्मेश बैरागी, आरक्षक विशाल सिंह, आरक्षक प्रेम सिंह रावत एवं महिला आरक्षक रेखा भाटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की अपील—शादी के नाम पर ऑनलाइन संपर्क में रहें सावधान

मंदसौर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मेट्रिमोनियल वेबसाइट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क होने पर सावधानी बरतें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग या लुभावने ऑफर के नाम पर किए जाने वाले दावों के झांसे में न आएं। पिन, ओटीपी, पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें।

समस्या अनेक समाधान एक

अब आप अपने व्यापार एवं जीवन से संबंधित कई कार्य आसानी से कर पाएंगे..सिर्फ एक संपर्क पर

ONE DESK BUISNESS SOLUTIONS PVT LTD

आपके लिए लाया है

GST, Income Ta& ,Loan & Subsidy Services, Trust & Society Registration ,Startup Consultancy, Company/LLP Incorporation

की सेवाओं के साथ सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध संपर्क करे...

पाटिल कॉलोनी H.N 34/35
मंदसौर 458001

Contact us -9109464400
onedeskwy@gmail.com
222.onedeskbiz.com

स्वामित्वाधिकारी, कैलाश विश्वकर्मा के लिए मुद्रक के द्वारा नकुल कंप्यूटर्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स नाकोड़ा परिसर, गली नंबर 2 जीरागंज, मंदसौर (म.प्र.) से मुद्रित कर सुभाष मार्ग, शामगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) से प्रकाशित,डाक पंजीकरण संख्या मंदसौर / 405/ 2024-26 (संपादक कैलाश विश्वकर्मा) मो. 7898341111 MPHIN/2023/88306